



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:- विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 09/2025 प्रा0पत्र

अनवान

1. दोल सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 52 वर्ष।
2. नाथू सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 48 वर्ष।

समस्त जाति रावत निवासीयान उदा गुड़ा ग्राम पंचायत कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. गोविन्द सिंह पुत्र राम सिंह उम्र 48 वर्ष।
2. धर्म सिंह पुत्र राम सिंह उम्र 48 वर्ष।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र 48 वर्ष।
4. मांगी देवी पत्नि कालू सिंह उम्र 48 वर्ष।
5. राजू सिंह पुत्र कालू सिंह उम्र 48 वर्ष।
6. हरि सिंह पुत्र कालू सिंह उम्र 48 वर्ष।

समस्त जाति रावत निवासीयान उदा गुड़ा ग्राम पंचायत कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थिति:-

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी

निर्णय

दिनांक:- 30/10/25

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की ग्राम कालागुमान पटवार हल्का कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2073-2076 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2077) से स्थायी के अनुसार खाता संख्या नया 198 एवं पुराना 209 खसरा संख्या 3741/2268 रकबा 0.8094 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नहीं होने की वजह से आए दिन घास काटते एवं फसल बोते वक्त और पेड़-पौधे की डालिया, जानवरों के लिए काटते वक्त हर समय विवाद होता रहता है एवं बार-बार परिशान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं

Haer

पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षीगण 01 ता 06 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसराओं की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि खसरा संख्या 3741/2268 का खातेदार देवी सिंह पुत्र पीथासिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके उत्तराधिकारी प्रार्थीगण है अर्थात् प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालागुमान पटवार हल्का कालागुमान तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2073-2076 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2077) से स्थायी के अनुसार खाता संख्या नया 198 एवं पुराना 209 खसरा संख्या 3741/2268 रकबा 0.8094 है० भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



Shar
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द